केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का संगम ज्ञापन

1. कंपनी का नाम 'केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड' है।

2. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित रहेगा।

3 (क). कंपनी स्थापित निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई है :

क) भारत सरकार द्वारा तारीख 12 अगस्त, 1953 की संकल्प संख्या एफ 2–6/53–घ–।। में स्थापित केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की परिसंपत्तियों और देयताओं को अधिकार में लेना, जैसाकि सहमति हुई है और इस कंपनी के पंजीकरण की तारीख को इसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

ख) सर्वेक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन के ऐसे तरीके, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, के माध्यम से समय–समय पर समाज कल्याण संगठनों की आवश्यकताओ और अपेक्षाओं का अध्ययन करना।

ग) सहायता प्राप्त एजेंसियों के कार्यक्रमों और परियोजनाओं का मूल्यांकन करना।

घ) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सौंपे गए कार्यक्रमों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समाज कल्याण कार्यकलापों के लिए दी गई सहायता को समन्वित करना।

ड.) स्वैच्छिक आधार पर ऐसे स्थानों पर समाज कल्याण संगठनों की स्थापना को बढ़ावा देना जहां ऐसा कोई संगठन मौजूद नहीं है और जहां कहीं आवश्यक हो, अतिरिक्त संगठनों की स्थापना को भी बढ़ावा देना।

च) पंचायती राज संस्थाओं तथा सुपात्र संस्थाओं या संगठनों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियमों के अनुसार, जब आवश्यक हो, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

छ) परिवार, महिला, बाल और विकलांग के कल्याण जैसे सामान्य जन कल्याण के लिए. समाज कल्याण कार्यकलापों को बढ़ावा देना और बेरोज़गारी, अल्प रोज़गार, वृद्धावस्था, बीमारी, अशक्तता के मामलों में और अनर्जित मांगों के अन्य मामलों में सहायता प्रदान करना।

ज) जहां–कहीं जरूरत हो, समाज कार्य में प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करना या उन्हें बढ़ावा देना और जहां–कहीं आवश्यक हो, प्रायोगिक परियोजना को भी आयोजित करना और उनपर कार्य करना और

झ) राष्ट्रीय या प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में या अन्यथा जहां–कहीं उचित या आवश्यक समझा जाए, को अपनी मशीनरी के माध्यम से आपात राहत की व्यवस्था करना।

3 (ख) मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रासंगिक या आनुसंगिक उद्देश्य, जिनके लिए यह कंपनी स्थापित की गई है, निम्न प्रकार हैं :

उपर्युक्त किसी एक या सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और आधारिका की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे सभी उपाय करना जो आवश्यक हैं :

i) किसी अवधि के लिए और किसी हित के लिए वास्तविक और निजी संपत्ति का क्रय कर या अन्यथा अधिग्रहण करना, धारित करना, किराए पर देना, विक्रय करना, विनिमय करना, बंधक रखना या अन्यथा निपटान करना और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और उसके संगठनों, यदि कोई हो, की भूमि एवं भवनों को धारित करने और बंधक रखने के लिए न्यासी के रूप में कार्य करना और उक्त बंधक के माध्यम से लिए गए धन को इस कंपनी के प्रयोजन हेतु प्रयोग करना।

ii) इस कंपनी के उद्देश्शें के अनुसरण में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरणों के साथ या अन्यथा, कोई समझौता करना और उक्त किसी सरकार या प्राधिकरण से सभी अधिकार और रियायतें और विशेषाधिकार, निःशुल्क प्राप्त करना, जो इन उद्देश्यों या उनमें से किसी एक उद्देश्य के लिए लाभदायी हो सकते हैं।

iii) इस कंपनी के प्रयोजन हेतु आवश्यक या सुविधाजनक किसी भवनों का निर्माण करना या निर्माण कार्य, अनुरक्षण और संचालन करना।

iv) कंपनी की समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का विक्रय करना, उसमें सुधार करना, प्रबंध–व्यवस्था करना, उसका विनिमय करना, उनपर ऋण लेना, उसे किराए पर देना, बंधक रखना, उसका निपटान करना, लेखे तैयार करना या अन्यथा विचार करना।

v) कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संविदा करना।

vi) कंपनी और उसके संगठनों के कर्मचारियों की भविष्य निधि के लिए एक न्यासी के कार्य करना।

vii) कंपनियों, न्यासों या संस्थाओं या व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अध्ययीन राज्य या केंद्र सरकार से अनुदान, ऋण, अग्रिम या अन्य धनराशि या जमा राशि या अन्यथा छूट या ब्याज सहित या छूट या ब्याज के बिना प्राप्त करना।

viii) परक्राम्य लिखत तैयार करना, बनाना, उसे स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, भुनाना और उसे निष्पादित करना।

ix) भारत सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी प्रतिभूति में कंपनी की धनराशि को जमा करना और/या निवेश करना।

x) ऐसे तरीके से धनराशि उधार लेना और देना जिसे कंपनी उचित समझती है।

xi) किसी विशेष या अन्य निधि से मूल्यह्रास निधि, आरक्षित निधि, ऋणशोधान निधि और बीमा निधि सृजित करना और ऐसी किसी निधि या उसके किसी भाग को किसी अन्य निधि में अंतरित करना।

xii) कंपनी के किसी एक या एक से अधिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए नकदी के रूप में या वस्तु रूप में किसी अभिदान को स्वीकार करना और ऐसी संपत्ति का उपहारस्वरूप लेना जो किसी विशेष न्यास के अध्ययीन हो या न हो।

xiii) कोई न्यास, जो कंपनी के उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभदायी हो सकती है, का भार लेना और उसे निष्पादित करना।

xiv) राजनैनिक दल या राजनीतिक प्रयोजन के लिए दान या अंशदान को छोड़कर बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी लोक प्रयोजन हेतु किसी स्थानीय या किसी अन्य धर्मार्थ न्यास को अभिदान देना, दान देना।

xv) कंपनी के कार्यकलापों से संबंधित सांख्यिकी और अन्य सूचना को प्राप्त करना, उसका प्रसार करना और इस्तेमाल करना।

xvi) कंपनी के कार्यकलापों से संबंधित उद्देश्यों पर चर्चा करना या उनके प्रचार–प्रसार के लिए सेमिनार, सम्मेलन और ऐसी अन्य बैठकें आयोजित करना और उनमें भाग लेना।

xvii) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, म्यूज़ियम, सेमिनार, सम्मेलन और समागमों में भाग लेना या उन्हें बढ़ावा देना या बढ़ावा देने के लिए शामिल होना या उन्हें आयोजित करना, उन्हें निष्पादित करना।

xiii) किसी अन्य संस्था या कंपनी चाहे निगमित हो या नहीं, का सदस्य बनने के लिए अभिदान देना या अन्यथा सहयोग देना जिसका उद्देश्य उस कंपनी के उद्देश्यों के पूर्णतः या अंशतः समान हो या जिससे कंपनी के हितों को बढ़ावा मिलता हो।

xix) भारत में शाखाओं, कार्यालयों या एजेंसियों को स्थापित, नियंत्रित या समाप्त करने का अधिकार प्राप्त करना। कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार/संघ के अन्य प्रतिनिधियों सहित प्रतिनिधियों या एजेंटों या परामर्शी समितियां नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त करना।

xix) भारत में शाखाओं, कार्यालयों या एजेंसियों को स्थापित, नियंत्रित या समाप्त करने का अधिकार प्राप्त करना। कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार/संघ के अन्य प्रतिनिधियों सहित प्रतिनिधियों या एजेंटों या परामर्शी समितियां नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त करना।

xx) समस्त संपदा जिसे बोर्ड ने जब्त किया हो या उस पर कब्ज़ा किया हो या उसका हकदार हो, के प्रबंध की व्यवस्था करना या उसका अधीक्षण करना और बोर्ड से संबंधित भूमि, मकान या उसपर बने अन्य भवनों को संस्थापित करना, ढहाना, पुनःनिर्माण करना, मरम्मत और रखरखाव करना और बोर्ड से संबंधित भूमि या भवनों से प्रीमियम, किराया या अन्य देयता वसूल करना और जहां आवश्यक हो, किराएदारों से उन्हें खाली करवाना।

xxi) ऐसे सभी हस्तांतरण पत्र और कार्य निष्पादित करना जो किसी लिखित या दस्तावेज, जो भी हो, की परियोजना बनाने या पूरा करने के लिए अपेक्षित हो सकते हैं और उन्हें पंजीकृत करना और इस नाम से सभी हस्तांतरण पत्रों और दस्तावेजों को निष्पादित और पंजीकृत करने के लिए कंपनी के किसी कार्यालय या अधिकारियों को प्राधिकृत करना और

xxii) सामान्यतः ऐसे अन्य सभी विधिपूर्ण कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या लाभदायी हैं, परंतु कंपनी अपी निधि का प्रयोग ट्रेड यूनियन बनाने के लिए नहीं करेगी और अपने सदस्यों या अन्य व्यक्तियों पर इस यूनियन के निर्णयों को अधिरोपित नहीं करेगी।

3. (ग) इन खंडों के निर्वचन में एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इन खंडों में से किसी एक खंड या उसके किसी पैरा के संदर्भ द्वाा या कंपनी के नाम तक या मात्र दो या दो से अधिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं होंगी और किसी अस्पष्टता की स्थिति में, इन खंडों या उसके किसी अन्य पैरा को इस तरीके से तैयार किया जाएगा जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र (शक्तियों) को विस्तारित करे ताकि कंपनी की शक्तियों को सीमित करे।

4. इस कंपनी के उद्देश्यों का पूरे भारत तक विस्तार है।

5. निधियों का उपयोग :

i) कंपनी की आय और संपत्ति, जब कभी भी प्राप्त हो, का प्रयोग इस ज्ञापन में वर्णित केवल उसके उद्देश्यों की संवृद्धि के लिए किया जाएगा।

ii) उपरोक्त आय या संपत्ति के किसी भाग को ऐसे व्यक्ति, जो किसी भी समय कंपनी के सदस्य हैं या कंपनी के सदस्य होंगे या उनमें से किसी एक या एक से अधिक सदस्यों या उनमें से किसी एक या एक से अधिक सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों को लाभांश, बोनस के रूप में अन्यथा लाभ के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भुगतान या अंतरण नहीं किया जाएगा।

iii) कंपनी को किराए पर दिए गए परिसर के किराए पर पर्याप्त और उचित ब्याज या कंपनी को उधार किए गए धन पर पर्याप्त और उचित ब्याज, इन सबके लिए अपने खर्च से भुगतान को छोड़कर कंपनी अपने किसी सदस्य को चाहे वह कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी हो या नहीं, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कंपनी द्वारा धन या नकद मूल्य की वस्तु के रूप में कोई पारिश्रमिक या अन्य लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा और

iv) किसी सदस्य को कंपनी के अधीन किसी ऐसे पद पर केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिनके लिए वेतन, शुल्क या किसी अन्य रूप में कोई पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसका उल्लेख उपखंड (iii) में नहीं किया गया है। इस खंड में ऐसा कुछ वर्णित नहीं है कि कंपनी को उसके अधिकारियों या कर्मचारियों (जो सदस्य नहीं हैं) या किसी अन्य व्यक्ति (जो सदस्य नहीं हैं) द्वारा वास्तव में सद्भाव से प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक का भुगतान करने से कंपनी बच पाएगी।

6. ज्ञापन में परिवर्तन

कंपनी के इस ज्ञापन या संस्था के अंतर्नियम, जो ततसमय प्रभावी हैं, में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त परिवर्तन केंद्र सरकार को पहले ही प्रस्तुत न किए गए हों और अनुमोदन न ले लिया गया हो।

7. देयतासीमा

क) सदस्यों की देयता सीमित है और

ख) कंपनी का प्रत्येक सदस्य, कंपनी के परिसमापन की स्थिति में जब वह उसका सदस्य है या सदस्य होने के एक वर्ष के भीतर कंपनी के लिए अंशदान करेगा। यह अंशदान कंपनी के ऋणों और देयताओं के भुगतान के लिए किया जाएगा, और जब वह कंपनी का सदस्य नहीं रहता है उससे पहले के ऋणों और देयताओं के भुगतान के लिए और कंपनी के परिसमापन में व्यय किए गए लागत प्रभाग और खर्च के प्रत और अंशदाताओं के अपने स्वयं के बीच समायोजन के लिए अंशदान किया जाएगा, यह अपेक्षित राशि 100/—रु. से अधिक नहीं होगी।

8. कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए और व्यय किए गए धन और ऐसी मदें, जिसके संबंध में उक्त प्राप्ति और व्यय किया गया है और कंपनी की संपत्ति, ऋण और देयताओं के खाते रखे जाएंगे और कंपनी के लेखाओं का निरीक्षण, कंपनी के सदस्य निरीक्षण के समय और निरीक्षण के तरीके के संबंध में पर्याप्त प्रतिबंध कर सकेंगे जिसे कंपनी द्वारा तत्समय लागू विनियमों के अनुसार लगाया जा सकता है। कंपनी के लेखाओं की प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार जांच की जाएगी और कंपनी के तुलन–पत्र और कंपनी के आय एवं व्यय के ब्योरों की सटीकता की कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों द्वारा जांच की जाएगी।

9. इस कंपनी के परिसमापन या भंग होने की स्थिति में, यदि कंपनी के ऋण और देयताओं का भुगतान करने के बाद कोई अधिशेष या कोई संपत्ति शेष रहती है तो उसका इस कंपनी के सदस्यों के बीच भुगतान या वितरण नहीं किया जाएगा। परंतु इसे किसी अन्य संस्था या संस्थाओं जिनके उद्देश्य इस कंपनी के उद्देश्यों के समान होया जिनके एक या अधिक उद्देश्य संबंधित उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह मामला आता है, के द्वारा कंपनी के भंग होने के समय पर या उससे पहले या उसकी किसी चूक से कंपनी के सदस्यों द्वारा निर्धारित किए गए हों, को अंतरित किया जाएगा या दिया जाएगा।

10. हम सभी अलग–अलग लोग जिनमें, पते तथा व्यवसाय का विवरण यहां दिया गया है, वे इस संगम ज्ञान के अनुसरण में एक लाभ रहित कंपनी बनाने के लिए इच्छुक हैं :

क्रम सं.	हस्ताक्षरकर्ता का नाम, व्यवसाय एवं पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती नीरा डोगरा, अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड,शिलांग (असम)	
2.	श्रीमती रक्षा शरण,सामाजिक कार्यकर्ता, 59, सुंदर नगर, नई दिल्ली – 110 011	
3.	श्री पी.जी.आई. वैद्यनाथन, अपर सचिव, भारत सरकार, समाज कल्याण विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	
4.	श्री ए.पी.वी. कृष्णन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली	
5.	डा. (श्री) एन.ए. अगहा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामुदायिक विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	
6.	श्री जी.सी. बावेजा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली	
7.	डा. (श्री) पी.डी. शुक्ला, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	

उपरोक्त हस्ताक्षरों के साक्षी

तारीख : 31 मार्च, 1969

श्री के.वी. रामकृष्ण,
अपर सचिव, भारत सरकार,
समाज कल्याण विभाग

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड
का संगम–अनुच्छेद

1. इन अनुच्छेदों में जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इनमें प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी पर इन अनुच्छेदों के बाध्यकारी बने रहने तक उसके किसी सांविधिक संशोधन में दिया गया है। वे राष्ट्र जो एकवचन के द्योतक हैं उनमें बहुवचन भी सम्मिलित होंगे तथा बहुवचन शब्दों में एकवचन भी शामिल होंगे। वे शब्द जो पुल्लिंग के द्योतक हैं, उनमें स्त्रीलिंग भी शामिल होंगे तथा वे व्यक्तियों शब्द में फर्मे और निगमित निकाय भी शामिल होंगे।

2. इन अनुच्छेदों के निर्वचन में (व्याख्या), जब तक कि इन अनुच्छेदों के विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :

क) ''कंपनी'' से तात्पर्य केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड से है, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अधीन निगमित किया गया है।

ख) 'सरकार' का तात्पर्य भारत सरकार से है।

ग) 'अधिनियम' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम– 1956 से है या इसमें समय–समय पर किए गए आशोधन से है।

घ) समिति' का तात्पर्य इन अनुच्छेदों के अधीन गठित की गई कंपनी की कार्यकारिणी समिति से है।

ड.) 'अध्यक्ष; का तात्पर्य कंपनी के अध्यक्ष से है।

च) 'समिति की बैठक' का अभिप्राय समिति के सदस्यों द्वारा विधिवत बुलाई गई हो, आयोजित की गई हो, जैसा भी मामला हो बैठक से है जिसमें सभी सदस्य एकत्र हुए हों।

छ) 'कार्यालय' से तात्पर्य तत्समय पंजीकृत कार्यालय से है, तथा

ज) 'सील' का मतलब कुछ तत्समय समय कंपनी की सामान्य सील से है।

3. कंपनी अधिनियम– 1956 की अनुसूची– 1 की सारणी 'ग' में निहित विनियम उसी सीमा तक लागू होंगे सिफ वहीं तक लागू होंगे यदि उन्हें इन अनुच्छेदों में पुनः दोहराया नहीं गया है। जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ वहीहोगा जो इस अधिनियम में दिया गया है या कंपनी पर इन विनियमों के बाध्यकारी होाने तक इस अधिनियम के किसी आशोधन में दिया गया हो।

संस्था का साधारण निकाय (जनरल बॉडी)

4. समाज कल्याण बोर्ड (कंपनी) के साधारण निकाय में निम्नलिखित शामिल रहेंगे :

(क) राज्य/संघ क्षेत्र के बोर्डों के सभी अध्यक्ष–31

(ख) 5 वृत्तिक/विधि क्षेत्र में एक, औषधि से एक, पोषण से एक, सामाजिक कार्य से एक, शिक्षा तथा सामाजिक विकास से एक–एक–5

(ग) सामाजिक कार्यों में गहन अनुभव वाले व्यक्ति–03

(घ) महिला तथा बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण,श्रम, वित्त विभाग एवं योजना आयोग, से एक–एक प्रतिनिधि–08

(ड) लोकसभा से दो तथा राज्य सभा से एक सदस्य को नाम किया जाएगा। 03

(च) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष–01

(छ) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकारी निदेशक–01

————————

————————

पंजीकरण के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों की संख्या असीमित रखी जाती है।

5. सरकार समय–समय पर कंपनी के अध्यक्ष पद के लिए किसी अखिल भारतीय स्तर की महिला सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति कर सकती है जिसके प्राप्त वह महिला जिसमें प्रशासनिक तथा संगठनात्मक कार्यों को करने की क्षमता इनकी नियुक्ति /वेतनमान या पारिश्रमिक के आधार पर, जो भी सरकार उचित समझे कर सकती है।

6. कंपनी के अध्यक्ष के परामर्श से सरकार कंपनी में एक कार्यकारी निदेशक तथा एक आतंरिक वित्तीय सलाहकार सह मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति ऐसी शर्तों पर ऐसे पारिश्रमिक पर करेगी जो सरकार उपयुक्त समझें तथा समय–समय पर उन्हें उनके पदों से हटा कर उनकी जगह नई नियुक्तियां करेगी।

7. सदस्यता समाप्त करना

कंपनी का कोई भी सदस्य यदि कंपनी से सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र हेतु इच्छुक हो तो वह कंपनी के कार्यकारी निदेशक को कम से कम एक माह का तत्संबंधी लिखित नोटिस देगा तथा यह उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को इसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा या कंपनी का कोई भी सदस्य उस तारीख को सरकार से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी हो। त्यागपत्र देने या सदस्यता समाप्त किए जाने के फलस्वरूप पैदा हुई रिक्ति को उपरोक्त खंड 4 के अनुसार भरा जाएगा।

8. सदस्यों का रजिस्टर

सदस्यों का एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें उन सदस्यों से संबंधित सारी सूचनाएं दर्ज की जाएगी जिन्हें समय–समय पर कंपनी की आम सभा द्वारा तय किया जाएगा एवं जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित होगा।

9. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में परामर्शदात्री बोर्ड

प्रत्येक भागीदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक राज्य समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्ड होगा। राज्य बोर्ड उन सारे कार्यों का निष्पादन करेगा जाकि उसे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड सौंपे जाएंगे। अध्यक्ष को छोड़कर राज्य समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्ड के आधे सदस्यों को संबंधित राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा नामित किया जाएगा तथा अन्य आधे सदस्यों को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड दृवारा नामित किया जाएगा । बोर्ड की अध्यक्ष एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला होगा जिसका चयन राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से किया जाएगा। राज्य बोर्ड के सदस्यों में 4 वृत्तिक शामिल होंगे जिन्हें समाज क्षेत्र/ गृह विज्ञान/औषधि/विधि/अर्धशास्त्र के क्षेत्रों से लिया जाएगा।

प्रशासन

10. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कंपनी) के कार्यों से संबंधित प्रशासनिक शक्तियां कंपनी की कार्यकारिणी समिति में सन्निहित होंगी। कार्यकारिणी समिति में कंपनी के अध्यक्ष, 4 राज्य परामर्शदात्री बोर्ड के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र परामर्शदात्री बोर्ड के एक अध्यक्ष चक्रानुक्रम के आधार पर महिला तथा बाल विकास विभाग के एक प्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा एवं कल्याण मंत्रालय से एक–एक प्रतिनिधि रहेंगे। तथा आम सभा से दो वृत्तिक होंगे।

कार्यकारिणी समिति तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेंगे। कार्यकारिणी समिति जब कभी आवश्यक समझें तो कार्यकारिणी के सदस्यों में से ही किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकती है।

11. कार्यकारिणी समिति के पास इन अनुच्छेदों द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त कंपनी की सम्पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंधन की शक्ति होगी। यह समिति ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है तथा सभी कार्यों का निष्पादन कर सकती आशयित हों जो कंपनी द्वारा किए जाते है जो संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से दिए गए हो या यह समिति उन कार्यों का भी निष्पादन कर सकती है, जिसे आम सभा द्वारा समय–समय पर इसे अन्यथा प्रत्यायोजित किया जाए।

12. प्रावधानों की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस समिति की शक्तियां निम्नानुसार तथा आम सभा द्वारा निर्धारित की गई नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार होगी :–

(क) कंपनी के सामान्य कार्यों का नियंत्रण करना।

(ख) यह निर्धारितय करना कि किन कार्यों का पूरा किया जाएगा तथा ऐसी गतिविधियों के निष्पादन का प्रबंधन करना।

(ग) कंपनी द्वारा जारी की गई रिपोर्टों तथा दस्तावेजों को प्रकाशित करने की व्यवस्था करना।

(घ) इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों की इसी प्रकार की गतिविधियों में सहयोग करना।

(ड) कंपनी के वित्त का नियंत्रण करना।

(च) कंपनी के कार्मिकों को नियंत्रण करना।

(छ) धन उधार लेना।

(ज) कंपनी की निधियों को निवेश करना।

(झ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों वाली एक विशेष समिति नियुक्त करना। बशर्ते कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल न हो जो एक ही समय में ऐसी दो समितियों का सदस्य हो।

(ण) कंपनी के किसी कार्यालय को ऐसी प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करना, जैसा कि समिति उचित समझे।

(ट) कंपनी की वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाने की व्यवस्था करना। तथा

(ठ) कंपनी के हितों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधिसम्मत सभी प्रेरक लाभदायक कार्यों को करना।

13. फिर भी, समिति निम्नलिखित को सरकार के निर्णय के लिए आरक्षित रखेगी :–

(क) प्रायोगिक परियोजनाओं सहित कोई कार्यक्रम या स्कीम या परियोजना जोकि सरकार द्वारा समय–समय पर नियत उच्चतम् सीमा से अत्यधिक हो।

ख) परिलब्धियों, संरचना से संबंधित सभी प्रस्ताव अर्थात् वेतनमानों, भत्तों का अंगीकरण तथा उनका संशोधन तथा 4500/–रु. प्रतिमाह से अधिक अधिकतम वेतन वाले पदों का सृजन तथा नियुक्ति।

ग) वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के बीच भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग की प्रदत्त शक्तियों से अधिक वित्तीय मामलों में किसी भी असहमति के मामले को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री को तथा वित्त मंत्री को निर्णय के लिए भेजा जा सकता है तथा

घ) कार्मिकों की सेवा की शर्तें संचालित करने वाले कंपनी के नियम भविष्य निधि तथा अन्य नियम सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगे। कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित तारीख

से पूर्व तथा निर्धारित फॉर्म में आने वाले वर्ष के लिए अपना बजट प्रतिवर्ष सरकार को प्रस्तुत करेगी।

14. आम सभा में कंपनी द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम समिति के किसी पूर्व कृत्य को अविधिमान्य नहीं करेगा, जो यदि यह विनियम नहीं बनाया गया होता तो वैध होता।

आम सभा

15. साधारण वार्षिक सभाओं को छोड़कर सभी आम सभाएं असाधारण बैठकें कहलाएंगी।

16. प्रतिवर्ष कंपनी की वार्षिक आम सभा, लेखा, तुलन–पत्र तथा कार्यकारी समिति और लेखापरीक्षकों की रिपोट्र पर विचार करने के लिए ऐसे स्थान तथा समय पर की जाएगी जिसके लिए बोर्ड द्वारा कम से कम 1 दिन पूर्व का नोटिस दिया जाएगा। (समय दिया जा सके।)

17. अध्यक्ष

(i) जब वह उचित समझे अपनी इच्छा से अथवा प्रस्तावित बैठक बुलाने के उद्देश्यों को वर्णित करते हुए कंपनी के कुल सदस्यां में से कम से कम 50 प्रतिशत के मांग करने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 169 84) (10) के प्रावधानों के तहत असाधारण आम बैठक बुला सकता है तथा

(ii) किसी भी आम सभा में कोई भी कार्य तब तक संचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि कार्य संचालन की बैठक के समय सदस्यों का कोरम उपस्थित न हो।

18. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, सदस्यों के रजिस्टर में 10 सदस्य से कोरम बनता है।

19.(i) यदि बैठक के आयोजन के नियत समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं हो पाता है तो यदि वह सदस्यों की मांग पर बुलाई गई बैठक है तो भंग कर दी जाएगी,

(ii) किसी अन्य मामले में, बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय के लिए तथा उस स्थान के लिए स्थगित कर दी जाएगी जो स्थान कंपनी नियत को तथा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उससे अगले दिन बैठक की जाएगी जब अवकाश न हो, तथा

(iii) यदि स्थगित बैठक के आधे घंटे के भीतर कोरम नहीं हो पाता है तो उपस्थित सदस्य ही कारेम होंगे।

20. कंपनी का अध्यक्ष ही कंपनी की प्रत्येक आम सभा के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।

21. यदि वहां कोई ऐसा अध्यक्ष न हो, अथवा वह बैठक के आयोजन के समय के पंद्रह मिनट के भीतर उपस्थित न हो पाए अथवा बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के

लिए इच्छुक न हो, तो उपस्थित सदस्य, अपने में से ही किसी सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन लेंगे।

22.(i) अध्यक्ष, किसी बैठक की सहमति से, जिसमें कोरम उपस्थित हो, तथा बैठक द्वारा निर्देशानुसार समय–समय पर तथा स्थान–स्थान पर बैठक स्थगित करेगा,

(ii) किसी स्थगित बैठक में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, उस बचे हुए कार्य के अलावा, जो उस का है जिससे स्थगन हुआ था,

(iii) जब कोई बैठक तीस दिन अथवा अधिक दिन के लिए स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक के लिए उसी प्रकार नोटिस दिया जाए जैसा मूल बैठक के मामले में दिया जाता है, तथा

(iv) उपरोक्त के सिवाय बैठक के स्थान का नोटिस देना आवश्यक है, जो स्थगित बैठक के लिए की गई है।

23. मतों के बराबर पड़ने पर, चाहे वह हाथ उठाकर किया गया हो या मत डाल कर, उस बैठक जिसमें मत डाले गए हैं, के सभापति के पास दूसरा अथवा निर्णायक मत डालने का अधिकार है।

24. जिस कार्य के लिए मत की मांग की गई है, मत के लंबित रहने तक उसको छोड़कर कोई भी कार्य आरंभ किया जा सकता है।

25. यदि विधिवत मतदान की मांग की जाती है, तो वह इस प्रकार तथा ऐसे समय लिया जाना चाहिए जैसा अध्यक्ष निर्देश दें तथा मतदान का परिणाम उस बैठक का संकल्प माना जाना चाहिए, जिसपर मतदान की मांग की गई है।

26. आम सभा अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन अपनी कुछ शक्तियां किसी ऐसी समिति को प्रत्योजित कर सकती हैं जो उसके सदस्यों से बनी हो, जैसा वह उचित समझे।

बैठकों की कार्यवाहियां

27. कार्यकारी समिति निम्नलिखित उद्देश्य के लिए निर्धारित पुस्तक में कार्यवृत्त दर्ज करवाएगी :

(i) कार्यकारी समिति द्वारा की गई सभी अधिकारियों की नियुक्तियां,

(ii) कंपनी तथा समिति की सभी बैठकों में लिए गए संकल्प तथा कार्यवाहियां, तथा

(iii) कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक में तथा आम सभा द्वारा गठित सदस्यों की किसी भी समिति में उपस्थित सदस्यों के नाम

कंपनी की निधियां

28. कंपनी की सारी निधियां भारतीय स्टेट बैंक अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक में जमा की जाएंगी। सभी चैकों पर, समय–समय पर समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

29 .(i) कंपनी की एक मुहर होगी तथा वह सुरक्षित रहनी चाहिए, तथा

(ii) कंपनी की मुहर किसी भी लिखित पर तब तक नहीं लगानी चाहिए जब तक आम सभा के संकल्प द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो तथा आम सभा के कम से कम दो सदस्यों तथा कार्यकारी निदेशक अथवा ऐसे दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति में किए जाएंगे जिन्हें आम सभा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करे तथा ये दो सदस्य तथा कार्यकारी निदेशक अथवा पूर्वोक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रत्येक लिखित पर हस्ताक्षर करेगा, जिसकी उपस्थिति में कंपनी की मुहर लगाई जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट

30. कंपनी के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की जाएगी तथा वार्षिक आम सभा से कम से कम 14 दिन पूर्व, कंपनी के सभी सदस्यों को सूचना के लिए वितरित की जानी चाहिए। ऐसी सभी रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के लिए वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

लेखांकन, निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा

31. प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम एक बार कंपनी के लेखाओं की जांच की जानी चाहिए तथा कंपनी अधिनियम की शर्तों के अनुसार यथाविधि एक अथवा अधिक अर्हक लेखापरीक्षा अथवा लेखापरीक्षकों द्वारा आय और व्यय के लेखाओं तथा तुलन–पत्रों के सही होने का निर्धारण किया जाना चाहिए।

32. कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 224 से 233 में दी गई किसी बात के बावजूद, कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर की जाएगी और उनके अधिकार एवं दायित्व अधिनियम की धारा 227 द्वारा विनियंत्रित होंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगीः–

(i) उस ढंग के बारे में निदेश देना जिसमें नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा की जाएगी तथा ऐसे लेखा परीक्षक को उनके कार्य निष्पादन से संबंधित किसी मामले के संबंध में अनुदेश देना, और

(ii) कंपनी के लेखा अनुपूरक अथवा लेखा परीक्षा जांच के विषय में ऐसे व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों द्वारा करना जिसे इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए तथा ऐसी लेखा परीक्षा के

प्रयोजनार्थ किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त सूचना के संबंध में सूचना की अपेक्षा की जा सकती है जिन्हें ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा ऐसे मामलों के संबंध में प्राधिकृत किया जाए तथा जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश दिया जाए। उपरोक्त लेखा परीक्षक इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करेगा जिसे टिप्पणी करने अथवा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट को ऐसे ढंग से पूरक बनाने का अधिकार होगा जैसा वह उपयुक्त समझे। उसके संबंध में ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में किसी टिप्पणी अथवा उसकी पूरकता पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट को उसी समय और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तरह ही ढंग से कार्यकारी समिति के स्पष्टीकरण के साथ यदि कोई हो कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। लेखा–परीक्षक का पारिश्रमिक बोर्ड द्वारा केंद सरकार के परामर्श से अधिनियम की धारा 224 (8) के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

33 कंपनी के लेखा परीक्षक कंपनी की उस साधारण बैठक का नोटिस प्राप्त करने और उसमें भाग लेने के हकदार होंगे जिसमें उनके द्वारा जोचे गए अथवा रिपोर्ट किए गए लेखे कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किए जाए तथा ऐसा कोई व्यक्त्व/स्पष्टीकरण दे सकते हैं जिन्हें वे लेखें के संबंध में देना चाहे।

34. कंपनी सदैव कंपनी के सभी लेखे, खाता बहियो, वाउचर दस्तावेज़ और अन्य कागजात उपलब्ध और सुलभ कराएगी उन संगठनों के खातो सहित जिन्हे एक लाख रूपये अथवा अधिक का अनुदान प्रापत हो रहा है और साथ ही ऐसी उचित सुविधाएं जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा किसी अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रतिनियुक्त स्टाफ के सदस्य द्वारा कंपनी की स्थिति की लेखा परीक्षा और निरीक्षण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अधिकारी अपनी रिपोर्ट उसे ऐसी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगा जैसा वह उपयुक्त समझे।

35. जब सभी लेखाओं की लेखा परीक्षा हो जाए और वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित हो जाए उसके बाद वे निर्णायक होंगे।

36. प्रत्येक वित्त वर्ष से संबंधित प्राप्ति और भुगतान लेखे खाते, अन्य और व्यय खाते तथा तुलन पत्र तथा उसके संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट के साथ वित्त वर्ष समाप्त हो जाने के बाद यथा शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

37. अधिनियम की धारा 201 के अध्यधीन साधारण सभा अथवा समिति के उन सभी सदस्यों की पहचान की जाएगी जिन्होंने कंपनी के सभी कार्य सदाशयता के साथ काम किया

है तथा कंपनी अथवा समिति का कोई सदस्य, साधारण निष्काम अथवा समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

एसोसिएशन के अनुच्छेद में फेर बदल

38 उसमें कोई फेरबदल अथवा अभिवृद्धि नहीं की जाएगी जब तक कि उस फेरबदल को केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही अनुमोदित नहीं किया गया हो।

39. उन अनुच्छेदों में दी गई किसी बात के बावजूद, भारत सरकार, उसकी इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है, ऐसे अनुदेशों अथवा निदेशों को जिन्हें वह कंपनी के वित्त के संबंध में और व्यवसाय संचालन के लिए उपयुक्त समझे उन कारणों को दर्ज करते हुए और कंपनी को सूचित करते हुए समय–समय पर जारी कर सकती है तथा कंपनी उनका अनुपालन करेगी तथा ऐसे निदेशों और अनुदेशों को कार्यान्वित करेगी।

40. हम कुछ व्यक्ति जिनके नाम, पते और उनके व्यवसाय यहां दर्शाएं गए है वे संस्था के अंतर्नियमों के अनुसरण में लाभ के लिए नहीं अपितु कंपनी में औपचारिक तथ्य से काम करना चाहते हैं :–

क्र.सं.	हस्ताक्षरकर्ता का नाम व्यवसाय एवं पता	हस्ताक्षर
1	श्रीमती नीरा डोगरा, अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, असम, शिलांग	
2.	श्रीमती रक्षा सरन, सामाजिक कार्यकर्ता 59, सुन्दर नगर, नई दिल्ली–110 001	
3.	श्री पी.वी.आई. वैद्यनाथन, अपर सचिव, भारत सरकार, समाज कल्याण विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	
4.	श्री ए.पी.वी. कृष्णन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110 001	
5.	डा. श्री एन.ए. आगा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामुदायिक विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	
6.	श्री जी.सी. बावेजा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार नीति आयोग (योजना आयोग) योजना भवन, नई दिल्ली–110 001	
7.	डा. (श्री) पी.डी. शुक्ला, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001	

उपरोक्त हस्ताक्षर के गवाह

दिनांक : 31 मार्च 1969

श्री के.वी. रामकृणन,
अवर सचिव, भारत सरकार,
समाज कल्याण विभाग